न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 13/2024/प्रार्थना पत्र रिव्यू

1 भागोती पत्नी हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

2 मूर्ति मन्दिर बिहारी जी पता डूकिया जरिये आस्थावान भक्त सुरेश पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द
2 रामगोपाल पुत्र गजानन्द
3 प्रमोद पुत्र गजानन्द
4 पवन पुत्र गजानन्द
5 श्याम सुन्दर पुत्र गजानन्द
6 बनवारी पुत्र जमनलाल
7 रमेश पुत्र जमनलाल
8 सांवरमल पुत्र जमनलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये मुख्तयार अशोक शर्मा पुत्र सांवरमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
9 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रिव्यू आवेदन अन्तर्गत धारा 86(2) भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 10.07.2024 प्रकरण मु.न. 20/2022 अनुवानी गजानन्द शर्मा बनाम मूर्ति मन्दिर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

वकील प्रार्थी श्री नानूराम बुडानियां
वकील अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

निर्णय **दिनांकः—17.04.2026**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 808, 872, 873, 1038 जिनका रकबा 5.04 हैक्टयर पुराना खसरा नम्बर 333, 364, 365, 438 व 444, 445, 446, 447, 448, 350, 351, 352, 335 रकबा 11.70 जिनके नये खसरा नम्बर 1017, 1018, 855, 856, 857, 859 व 809 कुल रकबा 11.70 हैक्टयर ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिनकी खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम से चली आ रही थी, परन्तु अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना खसरा नम्बर 333, 364, 365, 438, 445, 446, 447, 448 की खातेदारी मूर्ति मन्दिर के नाम से गलत रूप से दर्ज कर दी। अपीलाधीन नामान्तरण मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2008 से 2027 के खाता संख्या—151 पर आदेश डिप्टी कलेक्टर 11941 दिनांक 02.12.1959 के अनुसार खसरा नम्बर 444 ता 448 मूर्ति मन्दिर बिहारी जी 1/4, सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल 1/8, महेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल 1/8 रुडा पुत्र नोला 1/4, बालू, हीरा सुरजा जगू पिता लिछमण हिस्सा 1/8, गोविन्दा पुत्र काना हिस्सा 1/8 जाति जाट के नाम से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

तस्दीक किया गया। पर्चा खतौनी के मुताबिक खसरा नम्बर 8.08 रकबा 1.88 हैक्टयर में गजानन्द, रामवतार, बनवारी, रमेश कुमार, सांवरमल पिता जमनलाल कौम ब्राहमण के नाम से रदोबदल कर मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी डूकिया के खातेदारी दर्ज कर दी गई का कथन किये जाने पर श्रीमान् न्यायालय ने नायब तहसीलदार पलसाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर नामान्तरण संख्या–1032 को निरस्त किया जाकर उप–तहसीलदार पलसाना व तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया कि ग्राम डूकिया की मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी के व अन्य काश्तकारो के नाम दर्ज होने बाबत प्रथम सेटलमेन्ट से आज तक के राजस्व रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच करे एवं लैण्ड होल्डर की हैसियत से रेफरेंस दर्ज करवाये ताकि मूर्ति मन्दिर के हितो की रक्षा की जा सके। भूमि साबिक खसरा नम्बर 444 से 448 के नवीन खसरा नम्बर 1017 एवं 1018 के सम्बन्ध में भूमियों को पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम से दर्ज कराने हेतु तहसीलदार ने श्रीमान् के न्यायालय के मार्फत रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया गया था, जो 664/1997 पर दर्ज किया गया था। जिससे तत्कालीन खातेदारो की समुचित तामिल के अभाव में रेफरेन्स दिनांक 14.11.2002 को स्वीकार कर लिया गया था। बाद में पता चलने पर आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 एवं 09 नियम 13 व धारा 65 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का आवेदन संख्या–5430/2017 प्रस्तुत किये जाने के बाद माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 01.11.2019 को विवादित आराजी के 3/4 हिस्सा बक्सा, लक्ष्मण, रुघा की काश्त दर्ज होने से उनके वारिसान उक्त विवादित आराजी के 3/4 हिस्से तक खातेदारी अधिकार प्रावधित प्रावधानो के अनुसार प्राप्त कब्जे के अधिकारी है एवं 1/4 हिस्से की सीमा तक रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी के 1/4 हिस्से को मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी नाम की पुष्टि रखे जाने की पुष्टि की, उक्त रेफरेन्स का तहसीलदार दांतारामगढ़ एवं रेस्पोडेन्ट को पता था, लेकिन फिर भी उक्त तथ्यों को छुपाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर नवीन खसरा नम्बर 1017 व 1018 का तो कहीं उल्लेख भी नही कर पुराने खसरा नम्बर 444 से 448 का ही उल्लेख कर श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत कर न्यायालय ने मूलभूत तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत कर निर्णय पारित करवाया है, जो रिव्यू होने योग्य है। वर्तमान जमाबन्दी में 3/4 हिस्से के खातेदार, भूमियों के क्रयकर्ता है अपीलान्ट के उक्त भूमियां तत्कालिन खातेदार पतासी पत्नी गोविन्दा, भागीरथ, रामेश्वरी, मोती पिता का 1/16 वां हिस्सा क्रय किया था। जो कि नामान्तरण की अपील से पूर्व से ही खातेदार है एवं आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उनको पक्षकार नही बनाकर गलत आधारो पर प्रश्नगत भूमियों के सम्बन्ध में आदेश पारित करवाया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इसलिये आदेश रिव्यू होने योग्य है। अतः निर्णय जैर नजरसाजी भूमि खसरा नम्बर 1017, 1018 वाकै ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का डूकिया की हद तक आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री सुरेन्द्र शेखावत उपस्थित आये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 अपील संख्या 20/2022 प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजियात के बाबत न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र रेफरेन्स संख्या 5430/2017 अनुवानी गोरूराम बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 01.11.2019 को पारित निर्णय के द्वारा रेफरेंस आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के 3/4 हिस्से की भूमि बाबत प्रस्तुत रेफरेंस खारिज किया गया तथा शेष 1/4 हिस्से की सीमा तक रेफरेंस आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी के 1/4 हिस्से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

को मूर्ति मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम रखने हेतु पुष्टि की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2024 को पारित निर्णय में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 01.11.2019 के द्वारा पारित निर्णय को रिकॉर्ड पर लिये बिना अधूरा निर्णय पारित किया गया है। अतः रिव्यू आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2024 को पारित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पलसाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.07.2024 को पारित निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी अनुवानी विमला देवी बनाम ओमप्रकाश प्रस्तुत कर रखी है एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 10.07.2024 के विरूद्व अपील एवं निगरानी विचाराधीन होने से रिव्यू प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिव्यू आवेदन न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 20/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के विरूद्व विचाराधीन चल रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.07.2024 को पारित निर्णय के द्वारा नामांतकरण संख्या 1032 को निरस्त किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर एकल पीठ के निर्णय दिनांक 01.11.2019 की कियान्विति राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 29.07.2025 को स्थगित की जा चुकी है एवं न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 20/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में निगरानी प्रकरण संख्या 5080/2024 अनुवानी विमला देवी बनाम ओमप्रकाश विचाराधीन चल रही है एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील विचाराधीन चल रही है। रिव्यू का स्कोप बहुत छोटा है एवं निर्णय दिनांक 10.07.2024 के बाबत भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में अपील एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन होने से रिव्यू आवेदन के माध्यम से किसी प्रकार का औपचारिक आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी में निर्णय पारित किये जाने के उपरांत निर्णय के मुताबिक नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर